प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" मेन रोड नं.–1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल–462011

क्र./व्यापम/5–प–1/30/7475/2015 2008 भोपाल, दिनांक 7.10.15

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुरोध पर मण्डल द्वारा **पीएमटी परीक्षा वर्ष–2012** का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर चिकित्सा महाविद्यालयों ने संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये उनका प्रवेश अपने–अपने महाविद्यालय से निरस्त कर दिया गया था।

2. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न याचिकायें दायर की गई थी, जिनमें से याचिका क्रमांक 2001/2014 अनिल कुमार मौर्य विरूद्ध म. प्र. शासन व अन्य में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2014 के द्वारा अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय एवं **मण्डल** को पुनः जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था।

3. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश के परिपालन में पीएमटी परीक्षा वर्ष 2008 से 2012 तक के प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा निष्काषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरणों में परीक्षण हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया।

4. **पीएमटी वर्ष 2012** के प्रकरणों का परीक्षण करने पर व्यापम जांच समिति द्वारा पाया गया कि, मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों के उपलब्ध करवाये गये मूल दस्तावेजों के आधार पर, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण जांच उपरांत **01** अभ्यर्थी के प्रवेश निरस्त किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की गई एवं इस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लेने हेतु मण्डल को लिखा गया।

5. चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त समस्त अभिलेखों तथा मण्डल में उपलब्ध अन्य तथ्यों के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नये सिरे से मण्डल द्वारा अभ्यर्थीगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये थे। अभ्यर्थी का विवरण निम्नानुसार है–

C1. सुरेश कुमार पटेल – रोल नं. 415474 – श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा

व्यापम के पत्र क्रमांक (1) व्यापम/5–प–1/825/2015 भोपाल, दिनांक 02.02. 2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2015 को पूर्वान्ह 11.30 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। (2) व्यापम/5–प–1/4434/2015 भोपाल, दिनांक 08.06.2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 26.06.2015 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया।

6. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों की **चयन** एवं **प्रतीक्षा सूची** संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा को उपलब्ध कराई जाती है। जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने का कार्य संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा स्तर पर पूर्ण किया जाता है। जिसमें अभ्यर्थियों के दस्तावेजों तथा फोटो का, मूल अभिलेखों से मिलान अथवा परीक्षण किया जाना भी सम्मिलित होता है।

7. चिकित्सा महाविद्यालयों में किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने अथवा प्रवेश नहीं देने अथवा प्रवेश निरस्त किये जाने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग/अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित् किया जाता है। इस तारतम्य में संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के द्वारा पीएमटी परीक्षा वर्ष 2012 में अभ्यर्थी के प्रवेश के समय, परीक्षण के दौरान अभ्यर्थी की फोटो, हस्ताक्षर तथा हस्तलिपि का मिलान नहीं होना पाया गया था।

११५

8. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की परीक्षण समिति द्वारा सूक्ष्म परीक्षण किये जाने पर अभ्यर्थी के संबंध में दी गई वस्तुस्थिति अनुसार दस्तावेजों में संलग्न फोटो के विपरीत किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्राप्त करना एवं अध्ययनरत् होना पाया गया है, जो कि वास्तविकता पर आधारित है तथा प्रकरण के समग्र, सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण तथा तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि चयन के लिये अभ्यर्थी के द्वारा पररूपधारण (स्वयं के स्थान पर किसी अन्य को परीक्षा में बैठाया गया) का प्रयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। इस कारण से अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालयों के द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के प्रकरण, पररूपधारण (Impersonation) श्रेणी के अंतर्गत मान्य करते हुये अपने चिकित्सा महाविद्यालय से उल्लेखित अभ्यर्थी के प्रवेश निरस्त करने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं।

9. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था किन्तु अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिउत्तर समाधान कारक नहीं है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में पीएमटी परीक्षा **वर्ष 2012** में उल्लेखित **01** अभ्यर्थी के विरूद्ध **संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग** द्वारा की गई कार्यवाही तथा लिये गये निर्णय में, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पक्ष सर्मथन किया जाता है तथा उपरोक्त अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जाता है।

(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

नियंत्रक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड
o/c भोपाल

पृ.क्र./व्यापम/5–प–1/7576 /2015 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टॉस्क फोर्स, म.प्र. सातवीं वाहिनी के बाजू में जहांगीराबाद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निदेशक, सीबीआई, अनवेषण परिसर, चार इमली, भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक,चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. जनसंपर्क शाखा, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. संबंधित अभ्यर्थी .... की ओर सूचनार्थ।

नियंत्रक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड
o/c भोपाल